प्रेस विज्ञप्ति

नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को राशि जमा करने के लिए दी गई 5 दिन की ग्रेस अवधि वापिस ली गई, फरवरी 2016 से प्रभावी ।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत रचित तीनों योजनाओं नामत: कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ई.पी.एफ.एस.), 1952, कर्मचारी पेंशन योजना (ई.पी.एस.), 1995 तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.एस.), 1976 के उपबंधों के अनुसार हर माह की समाप्ति के बाद 15 दिन के भीतर नियोक्ताओं को अंशदान तथा प्रशासकीय प्रभार जमा कराने होंगे । साविधिक उपबंधों के अतिरिक्त 5 दिन की ग्रेस अवधि भी प्रदान की गई थी । यह 5 दिन की ग्रेस अवधि इसलिए दी गई थी क्योंकि नियोक्ताओं को कर्मचारियों के वेतन तथा बकाया की गणना मैनुअली करनी होती थी । मैनुअल सैट-अप के कारण बैंकों में भी बकाया राशि की जमा में अतिरिक्त समय लगता था ।

वर्तमान में तकनीक के विकास ने, कम्प्यूटर की सहायता से नियोक्ताओं को वेतन तथा देयताओं की गणना करने में सशक्त बनाया है । अब इलैक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ई.सी.आर.) तथा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बकाया जमा करने की सुविधा भी है । इन सभी से बैंकों में भ.नि. देय की गणना में तथा बैंकों में उसे जमा करने में लगने वाले समय में काफी कमी आई है ।

5 दिन की रियायत का उद्देश्य तथा उपयोगिता समाप्त हो गई है । तदनुसार, नियोक्ताओं को अंशदान तथा अन्य बकाया जमा करने के लिए उपलब्ध 5 दिन की ग्रेस अवधि की रियायत को वापिस लिया जाता है ।

जनवरी, 2016 के लिए अंशदान जमा करने हेतु यह फरवरी, 2016 से लागू होगा । अर्थात् यह फरवरी, 2016 में ही भुगतान योग्य है । अत: फरवरी, 2016 से प्रत्येक माह की समाप्ति पर 15 दिन के भीतर नियोक्ता को अपनी राशि जमा करनी होगी ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के फील्ड कार्यालयों से कहा जाता है कि बड़ी स्थापनाएं जिनमें 500 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं, सभी पी.एस.यू. तथा महत्वपूर्ण स्थापनाओं को इस संबंध में स्थानीय प्रेस विज्ञप्ति, ई-मेल तथा उपयुक्त फोरम द्वारा जागरूक बनाया जाए ।

PRESS RELEASE

5 days grace period for making remittances to EPFO by employers is withdrawn effective February 2016.

Employers are required to pay the contributions and administrative charges within fifteen days of close of every month as per the provisions of EPF & MP Act 1952 under three Schemes namely Employees' Provident Funds Scheme (EPFS), 1952, Employees' Pension Scheme (EPS), 1995 and Employees' Deposit Linked Insurance Scheme (EDLIS), 1976. A grace period of 5 days was also allowed in addition to the statutory provisions. This grace period of 5 days was allowed in view of the practice of manual processing of calculation of wages and dues of the employees at the end of Employers. The remittances of the dues in the bank also required additional time in the manual setup.

Recent technological advancement, have empowered employers to compute the wages and liabilities through aid of computers. Facility now exists to file Electronic Challan-cum-Return (ECR) and remittance of dues through Internet Banking. This has substantially reduced the process and time taken in calculation of PF dues and its remittances in the bank.

The concession of 5 days has outlived its basic purpose and utility. Accordingly, the concession of grace period of 5 days available to the employers for depositing the contribution & other dues is withdrawn.

This shall apply from February, 2016 for depositing contributions for the month of January, 2016 that is payable in the month of February, 2016. The employers will therefore need to deposit the remittances within 15 days of close of every month from February, 2016.

The field offices of EPFO are being asked to sensitize large establishments that employ more than 500 employees, all PSUs and important establishment in this regard, through local press releases, emails and at appropriate forums.

Email for the employers

Subject: Removal of grace period of 5 days for depositing the dues.
Reference: EPFO circular dated 08.01.2016

Dear employers,

Please refer to EPFO circular dt. 08.01.2016 available at EPFO website at *“For office use<<office orders/circulars<<circular at Sl. No. 608”*

As per above circular, EPFO has withdrawn the grace period of 5 days for depositing of contribution and administrative charges. This shall apply from February, 2016.

Please note that the dues for the month of Jan, 2016 are to be paid by 15th Feb. 2016.